"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 मई 2012—वैशाख 14, शक 1934

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/01.—छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पंद्रह-1-ए, दिनांक 26 जुलाई, 1999 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि रजिस्ट्रार को उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त समस्त शक्तियां, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, मुख्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर प्रयोग की जाएंगी.

Raipur, the 4th May 2012

NOTIFICATION

No./F 15-19/15-02/2012/01.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No.17 of 1961), and in supersession of this Department's Notification No. F. 5-1-99- XV-1-A, dated 26th July, 1999, the State Government, hereby, directs that, all the powers conferred on the Registrar under the said Act and Rules made thereunder shall be exercised by the Joint Registrar of Co-operative Societies, at the Head Quarter within the State of Chhattisgarh.

रायपुर, दिनांक 4 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/02.—छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 5-1-99-पंद्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि रजिस्ट्रार को उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त की गई समस्त शक्तियां तथा उन पर अधिरोपित कर्त्तव्य, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तथा विस्तार तक और कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर भी प्रयोग की जाएंगी तथा उनका पालन किया जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र. (1)	अधिकारी (2)	शक्तियां तथा कर्त्तव्यों की सीमा तथा विस्तार (3)	विनिर्दिष्ट क्षेत्र (4)
1.	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, रायपुर संभाग.	समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में, रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां तथा कर्त्तव्य जिनके कार्य क्षेत्र की सीमा (विस्तार) कालम (4) में दर्शायी गई अधिकारिता के भीतर हों.	रायपुर राजस्व संभाग
2.	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, बिलासपुर संभाग.	—तदैव—	बिलासपुर राजस्व संभाग
3.	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, बस्तर संभाग.	—तदैव—	बस्तर राजस्व संभाग
4.	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, सरगुजा संभाग.	—तदैव—	सरगुजा राजस्व संभाग

Raipur, the 4th May 2012

NOTIFICATION

No./F 15-19/15-02/2012/02.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No.17 of 1961), and in supersession of this Department's Notification No. F. 5-1-99- XV-1-B, dated 26th July, 1999, the State Government, hereby, directs that, all the powers conferred on the Registrar and duties imposed upon him under the said Act and Rules made thereunder shall also be exercised and performed by the Officers Specified in column (2) of the Schedule below to the extent and limit as specified in column (3) and within the area as specified in column (4) of the said Schedule, namely :-

SCHEDULE

S.No. (1)	Officers (2)	Extent and limit of powers and duties (3)	Specified Area (4)
1.	Joint Registrar, Co-operative Societies, Raipur Division.	All powers and duties of Registrar in respect of all types of societies whose area of operation extends within the jurisdiction as stated in column (4).	Raipur Revenue Division.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Joint Registrar, Co-operative Societies, Bilaspur Division.	All powers and duties of Registrar in respect of all types of societies whose area of operation extends within the jurisdiction as stated in column (4).	Bilaspur Revenue Division.
3.	Joint Registrar, Co-operative Societies, Bastar Division.	—do—	Bastar Revenue Division.
4.	Joint Registrar, Co-operative Societies, Surguja Division.	—do—	Surguja Revenue Division.

रायपुर, दिनांक 4 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03.—छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि :—

(1) नीचे दी गई प्रथम अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार उक्त अधिनियम तथा कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 की विभिन्न धाराओं के अधीन रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी द्वारा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट उनके अपने-अपने अधिकारिता में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर प्रयोग की जाएंगी, और

(2) नीचे दी गई द्वितीय अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार, उक्त अधिनियम तथा कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 की विभिन्न धाराओं के अधीन रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी द्वारा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट उनके अपने-अपने अधिकारिता में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर प्रयोग की जाएंगी, अर्थात् :—

प्रथम अनुसूची

स. क्र.	अधिनियम की धारा	नियम	शक्तियों की सीमा	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6 (1)		(क) वित्तीय बैंक (ख) ऐसे समस्त सोसाइटियां जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो, को छोड़कर समस्त प्रकार की सोसायटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	1-रायपुर 2-महासमुंद 3-धमतरी 4-बलौदाबाजार 5-दुर्ग 6-बालोद 7-बेमेतरा 8-राजनांदगांव.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				9-कबीरधाम 10-बिलासपुर 11-जांजगीर-चांपा 12-कोरबा 13-रायगढ़ 14-सरगुजा 15-सूरजपुर 16-बस्तर 17-कांकेर
2.	7 (1)		—तदैव—	—तदैव—
3.	8		—तदैव—	—तदैव—
4.	9		—तदैव—	—तदैव—
5.	10 (1)		—तदैव—	—तदैव—
6.	11		—तदैव—	—तदैव—
7.	12		—तदैव—	—तदैव—
8.	14		—तदैव—	—तदैव—
9.	15 (2)		—तदैव—	—तदैव—
10.	16		—तदैव—	—तदैव—
11.	17		—तदैव—	—तदैव—
12.	18		—तदैव—	—तदैव—
13.	19 (2-क)		—तदैव—	—तदैव—
14.	19 (6) तथा (7)		—तदैव—	—तदैव—
15.	19-कक		—तदैव—	—तदैव—
16.	19-ख		—तदैव—	—तदैव—
17.	19-ग (1-क) तथा (2)		—तदैव—	—तदैव—
18.	32		—तदैव—	—तदैव—
19.	37 (4)		—तदैव—	—तदैव—
20.	43 (3)		—तदैव—	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21.	44 (1)		(क) वित्तीय बैंक (ख) ऐसे समस्त सोसाइटियां जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो, को छोड़कर समस्त प्रकार की सोसायटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	1-रायपुर 2-महासमुंद 3-धमतरी 4-बलौदाबाजार 5-दुर्ग 6-बालोद 7-बेमेतरा 8-राजनांदगांव 9-कबीरधाम 10-बिलासपुर 11-जांजगीर-चांपा 12-कोरबा 13-रायगढ़ 14-सरगुजा 15-सूरजपुर 16-बस्तर 17-कांकेर
22.	44 (3)		—तदैव—	—तदैव—
23.	45		—तदैव—	—तदैव—
24.	48 (3) ग		—तदैव—	—तदैव—
25.	48-क (2)		शीर्ष (अपेक्स) सोसाइटियों को छोड़कर समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	—तदैव—
26.	49		—तदैव—	—तदैव—
27.	49-ख		उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है.	—तदैव—
28.	49-ग (3)		—तदैव—	—तदैव—
29.	50		समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	—तदैव—
30.	52-ख (द्वितीय परन्तुक)		उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है.	—तदैव—
31.	53		—तदैव—	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32.	53-क		उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है.	1-रायपुर 2-महासमुंद 3-धमतरी 4-बलौदाबाजार 5-दुर्ग 6-बालोद 7-बेमेतरा 8-राजनांदगांव 9-कबीरधाम 10-बिलासपुर 11-जांजगीर-चांपा 12-कोरबा 13-रायगढ़ 14-सरगुजा 15-सूरजपुर 16-बस्तर 17-कांकेर
33.	53-ख		—तदैव—	—तदैव—
34.	55 (2)		—तदैव—	—तदैव—
35.	56		समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	—तदैव—
36.	57		—तदैव—	—तदैव—
37.	57-क		—तदैव—	—तदैव—
38.	58		समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	—तदैव—
39.	58-ख (1) (2) एवं (5)		उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है.	—तदैव—
40.	59		—तदैव—	—तदैव—
41.	59-क		—तदैव—	—तदैव—
42.	60		समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	—तदैव—
43.	61		—तदैव—	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44.	62		उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है.	1-रायपुर 2-महासमुंद 3-धमतरी 4-बलौदाबाजार 5-दुर्ग 6-बालोद 7-बेमेतरा 8-राजनांदगांव 9-कबीरधाम 10-बिलासपुर 11-जांजगीर-चांपा 12-कोरबा 13-रायगढ़ 14-सरगुजा 15-सूरजपुर 16-बस्तर 17-कांकेर
45.	63-क		—तदैव—	—तदैव—
46.	64		समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	—तदैव—
47.	65		—तदैव—	—तदैव—
48.	66		—तदैव—	—तदैव—
49.	67		—तदैव—	—तदैव—
50.	68		—तदैव—	—तदैव—
51.	69		उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है.	—तदैव—
52.	70		—तदैव—	—तदैव—
53.	71		—तदैव—	—तदैव—
54.	72		—तदैव—	—तदैव—
55.	76 (2)		—तदैव—	—तदैव—
56.	81		—तदैव—	—तदैव—
57.	83		—तदैव—	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
58.	84		समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	1-रायपुर 2-महासमुंद 3-धमतरी 4-बलौदाबाजार 5-दुर्ग 6-बालोद 7-बेमेतरा 8-राजनांदगांव 9-कबीरधाम 10-बिलासपुर 11-जांजगीर-चांपा 12-कोरबा 13-रायगढ़ 14-सरगुजा 15-सूरजपुर 16-बस्तर 17-कांकेर
59.	84-क		—तदैव—	—तदैव—
60.	85		—तदैव—	—तदैव—
61.	89		—तदैव—	—तदैव—
62.	90		—तदैव—	—तदैव—
63.		5	(क) वित्तीय बैंक (ख) ऐसे समस्त सोसाइटियां जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो, को छोड़कर समस्त प्रकार की सोसायटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	—तदैव—
64.		7	—तदैव—	—तदैव—
65.		9	—तदैव—	—तदैव—
66.		11, उप नियम (7) को छोड़कर	—तदैव—	—तदैव—
67.		22	—तदैव—	—तदैव—
68.		23(3)(ट)	—तदैव—	—तदैव—
69.		26	—तदैव—	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
70.		28	(क) वित्तीय बैंक (ख) ऐसे समस्त सोसाइटियां जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो, को छोड़कर समस्त प्रकार की सोसायटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	1-रायपुर 2-महासमुंद 3-धमतरी 4-बलौदाबाजार 5-दुर्ग 6-बालोद 7-बेमेतरा 8-राजनांदगांव 9-कबीरधाम 10-बिलासपुर 11-जांजगीर-चांपा 12-कोरबा 13-रायगढ़ 14-सरगुजा 15-सूरजपुर 16-बस्तर 17-कांकेर
71.		29	—तदैव—	—तदैव—
72.		31	—तदैव—	—तदैव—
73.		32(1) (पांच) (ग)	—तदैव—	—तदैव—
74.		34	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	—तदैव—
75.		35	—तदैव—	—तदैव—
76.		36 (द्वितीय परंतुक)	—तदैव—	—तदैव—
77.		41	उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है.	—तदैव—
78.		43-क(2) एवं (5)	—तदैव—	—तदैव—
79.		44	—तदैव—	—तदैव—
80.		50	—तदैव—	—तदैव—
81.		50-क	—तदैव—	—तदैव—
[illegible]		52	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
83.		53	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	1-रायपुर 2-महासमुंद 3-धमतरी 4-बलौदाबाजार 5-दुर्ग 6-बालोद 7-बेमेतरा 8-राजनांदगांव 9-कबीरधाम 10-बिलासपुर 11-जांजगीर-चांपा 12-कोरबा 13-रायगढ़ 14-सरगुजा 15-सूरजपुर 16-बस्तर 17-कांकेर
84.		54 (1) एवं (2)	—तदैव—	—तदैव—
85.		55	—तदैव—	—तदैव—
86.		56	—तदैव—	—तदैव—
87.		57 (छ)	उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है.	—तदैव—
88.		57, खण्ड (ङ), (छ) और (ण) को छोड़कर	—तदैव—	—तदैव—
89.		58	—तदैव—	—तदैव—
90.		65	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	—तदैव—

द्वितीय अनुसूची

अ. क्र.	अधिनियम की धारा	नियम	शक्तियों की सीमा	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6 (1)		निम्नलिखित प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां :— 1- प्राथमिक संसाधन सोसाइटियां	1-रायपुर 2-महासमुंद 3-धमतरी 4-बलौदाबाजार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2- प्राथमिक उपभोक्ता सोसाइटियां 3- प्राथमिक बहुउद्देशीय सोसाइटियां 4- प्राथमिक उत्पादक सोसाइटियां 5- प्राथमिक औद्योगिक सोसाइटियां 6- कृषि सोसाइटियां	5-दुर्ग 6-बालोद 7-बेमेतरा 8-राजनांदगांव 9-कबीरधाम 10-बिलासपुर 11-जांजगीर-चांपा 12-कोरबा 13-रायगढ़ 14-सरगुजा 15-सूरजपुर 16-बस्तर 17-कांकेर
2.	7 (1)		—तदैव—	—तदैव—
3.	8		—तदैव—	—तदैव—
4.	9		—तदैव—	—तदैव—
5.	10 (1)		—तदैव—	
6.	11		—तदैव—	—तदैव—
7.	12		—तदैव—	—तदैव—
8.	14		—तदैव—	—तदैव—
9.	15 (2)		—तदैव—	—तदैव—
10.	16		—तदैव—	—तदैव—
11.	17		—तदैव—	—तदैव—
12.	18		—तदैव—	—तदैव—
13.	19 (6) तथा (7)		—तदैव—	—तदैव—
14.	19-कक		—तदैव—	—तदैव—
15.	19-ग (1-क) एवं (2)		—तदैव—	—तदैव—
16.	32		—तदैव—	—तदैव—
17.	37 (4)		—तदैव—	—तदैव—
18.	43 (3)		—तदैव—	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.	45		निम्नलिखित प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां :— 1- प्राथमिक संसाधन सोसाइटियां 2- प्राथमिक उपभोक्ता सोसाइटियां 3- प्राथमिक बहुउद्देशीय सोसाइटियां 4- प्राथमिक उत्पादक सोसाइटियां 5- प्राथमिक औद्योगिक सोसाइटियां 6- कृषि सोसाइटियां	1 रायपुर 2 महासमुंद 3 धमतरी 4 बलौदाबाजार 5 दुर्ग 6 बालोद 7 बेमेतरा 8 राजनांदगांव 9 कबीरधाम 10 बिलासपुर 11 जांजगीर चांपा 12 कोरबा 13 रायगढ़ 14 सरगुजा 15 सूरजपुर 16 बस्तर 17 कांकेर
20.	49		—तदैव—	—तदैव—
21.	49-ग (3)		—तदैव—	—तदैव—
22.	50		—तदैव—	—तदैव—
23.	52-ख		—तदैव—	—तदैव—
24.	53		—तदैव—	—तदैव—
25.	53-क		—तदैव—	—तदैव—
26.	53-ख		—तदैव—	—तदैव—
27.	55 (2)		—तदैव—	—तदैव—
28.	56		—तदैव—	—तदैव—
29.	57		—तदैव—	—तदैव—
30.	58		—तदैव—	—तदैव—
31.	59		—तदैव—	—तदैव—
32.	59-क		—तदैव—	—तदैव—
33.	60		—तदैव—	—तदैव—
34.	61		—तदैव—	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35.	62		निम्नलिखित प्रकार की सोसाईटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां :— 1- प्राथमिक संसाधन सोसाइटियां 2- प्राथमिक उपभोक्ता सोसाईटियां 3- प्राथमिक बहुउद्देशीय सोसाइटियां 4- प्राथमिक उत्पादक सोसाईटियां 5- प्राथमिक औद्योगिक सोसाईटियां 6- कृषि सोसाईटियां	1-रायपुर 2-महासमुंद 3-धमतरी 4-बलौदाबाजार 5-दुर्ग 6-बालोद 7-बेमेतरा 8-राजनांदगांव 9-कबीरधाम 10-बिलासपुर 11-जांजगीर-चांपा 12-कोरबा 13-रायगढ़ 14-सरगुजा 15-सूरजपुर 16-बस्तर 17-कांकेर
36.	63-क		—तदैव—	—तदैव—
37.	64		—तदैव—	—तदैव—
38.	65		—तदैव—	—तदैव—
39.	66		—तदैव—	—तदैव—
40.	67		—तदैव—	—तदैव—
41.	68		—तदैव—	—तदैव—
42.	69		—तदैव—	—तदैव—
43.	70		—तदैव—	—तदैव—
44.	71		—तदैव—	—तदैव—
45.	76 (2)		—तदैव—	—तदैव—
46.	81		—तदैव—	—तदैव—
47.	83		—तदैव—	—तदैव—
48.	84		—तदैव—	—तदैव—
49.	84-क		—तदैव—	—तदैव—
50.	85		—तदैव—	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
51.	89		निम्नलिखित प्रकार की सोसाइटियां के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां :— 1- प्राथमिक संसाधन सोसाइटियां 2- प्राथमिक उपभोक्ता सोसाइटियां 3- प्राथमिक बहुउद्‌देशीय सोसाइटियां 4- प्राथमिक उत्पादक सोसाइटियां 5- प्राथमिक औद्योगिक सोसाइटियां 6- कृषि सोसाइटियां	1-रायपुर 2-महासमुंद 3-धमतरी 4-बलौदाबाजार 5-दुर्ग 6-बालोद 7-बेमेतरा 8-राजनांदगांव 9-कबीरधाम 10-बिलासपुर 11-जांजगीर-चांपा 12-कोरबा 13-रायगढ़ 14-सरगुजा 15-सूरजपुर 16-बस्तर 17-कांकेर
52.	90		—तदैव—	—तदैव—
53.		5	—तदैव—	—तदैव—
54.		9	—तदैव—	—तदैव—
55.		11, उप-नियम (7) को छोड़कर	—तदैव—	—तदैव—
56.		22	—तदैव—	—तदैव—
57.		23 (3) (ट)	—तदैव—	—तदैव—
58.		28	—तदैव—	—तदैव—
59.		29	—तदैव—	—तदैव—
60.		31	—तदैव—	—तदैव—
61.		34	—तदैव—	—तदैव—
62.		35	—तदैव—	—तदैव—
63.		36 (द्वितीय परंतुक)	—तदैव—	—तदैव—
64.		41	—तदैव—	—तदैव—
65.		43-क-(2) एवं (5)	—तदैव—	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
66.		44	निम्नलिखित प्रकार की सोसाइटियां के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां :— 1- प्राथमिक संसाधन सोसाइटियां 2- प्राथमिक उपभोक्ता सोसाइटियां 3- प्राथमिक बहुउद्देशीय सोसाइटियां 4- प्राथमिक उत्पादक सोसाइटियां 5- प्राथमिक औद्योगिक सोसाइटियां 6- कृषि सोसाइटियां	1-रायपुर 2-महासमुंद 3-धमतरी 4-बलौदाबाजार 5-दुर्ग 6-बालोद 7-बेमेतरा 8-राजनांदगांव 9-कबीरधाम 10-बिलासपुर 11-जांजगीर-चांपा 12-कोरबा 13-रायगढ़ 14-सरगुजा 15-सूरजपुर 16-बस्तर 17-कांकेर
67.		50	—तदैव—	—तदैव—
68.		50-क	—तदैव—	—तदैव—
69.		52	—तदैव—	—तदैव—
70.		53	—तदैव—	—तदैव—
71.		54(1) तथा (2)	—तदैव—	—तदैव—
72.		55	—तदैव—	—तदैव—
73.		56	—तदैव—	—तदैव—
74.		57, खण्ड (ङ) (छ) और (ण) को छोड़कर	तदैव—	—तदैव—
75.		58		—तदैव—
76.		65	—तदैव—	—तदैव—

Raipur, the 4th May 2012

NOTIFICATION

No./F 15-19/15-02/2012/03.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No.17 of 1961), and in supersession of this Department's Notification

No.F. 5-1-99- XV -1-C. dated 26th July 1999, the State Government, hereby, directs that :-

(1) The Powers conferred on the Registrar, Co-operative Societies Chhattisgarh under various sections of the said Act as specified in column (2) and Chhattisgarh Co-operative Societies Rules 1962, as specified in column (3) of first schedule given below shall be exercised by the Deputy Registrar of Co-operative Societies, to the extent as specified in column (4) within the area comprised of their respective jurisdiction as specified in column (5) of the said Schedule, and

(2) The Powers conferred on the Registrar, Co-operative Societies, Chhattisgarh under various sections of the said Act as specified in column (2) and Chhattisgarh Co-operative Societies Rules, 1962, as specified in column (3) of second schedule given below shall be exercised by the Assistant Registrar of Co-operative Societies, to the extent as specified in column (4) within the area comprised of their respective jurisdiction as specified in column (5) of the said Schedule, namely :-

FIRST SCHEDULE

S.No.	Section of the Act	Rules	Extent of Powers	Area
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6(1)		(a) Financial Banks (b) All powers of the Registrar in respect of all types of societies except all societies whose area of operation extends beyond the limits of District.	1-Raipur 2-Mahasamund 3-Dhamtari 4-Baloda Bazar 5-Durg 6-Balod 7- Bemetara 8- Rajnandgaon 9-Kabirdham 10- Bilaspur 11-Janjgir-Champa 12-Korba 13-Raigarh 14-Surguja 15- Surajpur 16-Baster 17-Kanker
2.	7(1)		-do-	-do-
3.	8		-do-	-do-
4.	9		-do-	-do-
5.	10(1)		-do-	-do-
6.	11		-do-	-do-
7.	12		-do-	-do-
8.	14		-do-	-do-
9.	15(2)		-do-	-do-
10.	16		-do-	-do-
11.	17		-do-	-do-
12.	18		-do-	-do-
13.	19(2-A)		-do-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	19(6) and (7)		(a) Financial Banks (b) All powers of the Registrar in respect of all types of societies except all societies whose area of operation extends beyond the limits of District.	1-Raipur 2-Mahasamund 3-Dhamtari 4-Baloda Bazar 5-Durg 6-Balod 7- Bemetara 8- Rajnandgaon 9-Kabirdham 10- Bilaspur 11-Janjgir-Champa 12-Korba 13-Raigarh 14-Surguja 15- Surajpur 16-Baster 17-Kanker
15.	19-AA		-do-	-do-
16.	19-B		-do-	-do-
17.	19-C (1-A) and (2)		-do-	-do-
18.	32		-do-	-do-
19.	37(4)		-do-	-do-
20.	43(3)		-do-	-do-
21.	44(1)		-do-	-do-
22.	44(3)		-do-	-do-
23.	45		-do-	-do-
24.	48(3) (c)		-do-	-do-
25.	48-A(2)		All powers of the Registrar in respect of all types of societies except apex societies.	-do-
26.	49		-do-	-do-
27.	49-B		All powers of the Registrar in respect of societies which he can register.	-do-
28.	49-C (3)		-do-	-do-
29.	50		All powers of the Registrar in respect of all societies.	-do-
30.	52-B(2nd Proviso)		All powers of the Registrar in respect of those societies which he can register.	-do-
31.	53		-do-	-do-
32.	53-A		-do-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33.	53-B		All powers of the Registrar in respect of those societies which he can register.	1-Raipur 2-Mahasamund 3-Dhamtari 4-Baloda Bazar 5-Durg 6-Balod 7- Bemetara 8- Rajnandgaon 9-Kabirdham 10- Bilaspur 11-Janjgir-Champa 12-Korba 13-Raigarh 14-Surguja 15- Surajpur 16-Baster 17-Kanker
34.	55(2)		-do-	-do-
35.	56		All powers of the Registrar in respect of all societies.	-do-
36.	57		-do-	-do-
37.	57-A		-do-	-do-
38.	58		All powers of the Registrar in respect of all societies.	-do-
39.	58-B (1) (2) and (5)		All power of the Registrar in respect of those societies which he can register.	-do-
40.	59		-do-	-do-
41.	59-A		-do-	-do-
42.	60		All power of the Registrar in respect of all societies.	-do-
43.	61		-do-	-do-
44	62		All power of the Registrar in respect of those societies which he can register.	-do-
45.	63-A		-do-	-do-
46.	64		All power of the Registrar in respect of all societies.	-do-
47.	65		-do-	-do-
48.	66		-do-	-do-
49.	67		-do-	-do-
50.	68		-do-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
51.	69		All powers of the Registrar in respect of those societies which he can register.	1-Raipur 2-Mahasamund 3-Dhamtari 4-Baloda Bazar 5-Durg 6-Balod 7-Bemetara 8-Rajnandgaon 9-Kabirdham 10-Bilaspur 11-Janjgir-Champa 12-Korba 13-Raigarh 14-Surguja 15-Surajpur 16-Baster 17-Kanker
52.	70		-do-	-do-
53.	71		-do-	-do-
54.	72		-do-	-do-
55.	76(2)		-do-	-do-
56.	81		-do-	-do-
57.	83		-do-	-do-
58.	84		All powers of the Registrar in respect of all societies.	-do-
59.	84-A		-do-	-do-
60.	85		-do-	-do-
61.	89		-do-	-do-
62.	90		-do-	-do-
63.		5	(a) Financing Banks (b) All power of the Registrar in respect of all types of societies except all societies whose area of operation extends beyond the limits of districts.	-do-
64.		7	-do-	-do-
65.		9	-do-	-do-
66.		11 except sub rule(7)	-do-	-do-
67.		22	-do-	-do-
68.		23 (3)(k)	-do-	-do-
69.		26	-do-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
70.		28	(a) Financing Banks (b) All power of the Registrar in respect of all types of societies except all societies whose area of operation extends beyond the limits of districts.	1-Raipur 2-Mahasamund 3-Dhamtari 4-Baloda Bazar 5-Durg 6-Balod 7- Bemetara 8- Rajnandgaon 9-Kabirdham 10- Bilaspur 11-Janjgir-Champa 12-Korba 13-Raigarh 14-Surguja 15- Surajpur 16-Baster 17-Kanker
71.		29	-do-	-do-
72.		31	-do-	-do-
73.		32(1)(v)(c)	-do-	-do-
74.		34	All powers of the Registrar in respect of all societies.	-do-
75.		35	-do-	-do-
76.		36 (2nd Proviso)	-do-	-do-
77.		41	All powers of the Registrar in respect of those societies which he can register.	-do-
78.		43-A(2) and (5)	-do-	-do-
79.		44	-do-	-do-
80.		50	-do-	-do-
81.		50-A	-do-	-do-
82.		52	All powers of the Registrar in respect of all societies.	-do-
83.		53	-do-	-do-
84.		54 (1) and (2)	-do-	-do-
85.		55	-do-	-do-
86.		56	-do-	-do-
87.		57 (g)	All powers of the Registrar in respect of those societies in which he can Register.	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
88.		57. Except part (e), (g) and (o)	All powers of the Registrar in respect of those societies which he can register.	1-Raipur 2-Mahasamund 3-Dhamtari 4-Baloda Bazar 5-Durg 6-Balod 7- Bemetara 8- Rajnandgaon 9-Kabirdham 10- Bilaspur 11-Janjgir-Champa 12-Korba 13-Raigarh 14-Surguja 15- Surajpur 16-Baster 17-Kanker
89.		58	-do-	-do-
90.		65	All power of the Registrar in respect of all societies.	-do-

SECOND SCHEDULE

S.No. (1)	Section of the Act (2)	Rules (3)	Extent of Powers (4)	Area (5)
1.	6(1)		All powers of the Registrar in respect of the following Societies. 1-Primary Resources societies 2-Primary Consumers societies 3-Primary Multipurpose societies 4-Primary Producers societies 5-Primary Industrial societies 6-Agricultural societies	1-Raipur 2-Mahasamund 3-Dhamtari 4-Baloda Bazar 5-Durg 6-Balod 7- Bemetara 8- Rajnandgaon 9-Kabirdham 10- Bilaspur 11-Janjgir-Champa 12-Korba 13-Raigarh 14-Surguja 15- Surajpur 16-Baster 17-Kanker
2.	7(1)		-do-	-do-
3.	8		-do-	-do-
4.	9		-do-	-do-
5.	10(1)		-do-	-do-
6.	11		-do-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	12		All powers of the Registrar in respect of the following Societies. 1-Primary Resources societies 2-Primary Consumers societies 3-Primary Multipurpose societies 4-Primary Producers societies 5-Primary Industrial societies 6-Agricultural societies	1-Raipur 2-Mahasamund 3-Dhamtari 4-Baloda Bazar 5-Durg 6-Balod 7- Bemetara 8- Rajnandgaon 9-Kabirdham 10- Bilaspur 11-Janjgir-Champa 12-Korba 13-Raigarh 14-Surguja 15- Surajpur 16-Baster 17-Kanker
8.	14		-do-	-do-
9.	15(2)		-do-	-do-
10.	16		-do-	-do-
11.	17		-do-	-do-
12.	18		-do-	-do-
13.	19(6) and (7)		-do-	-do-
14.	19-AA		-do-	-do-
15.	19-C (1-A) and (2)		-do-	-do-
16.	32		-do-	-do-
17.	37(4)		-do-	-do-
18.	43(3)		-do-	-do-
19.	45		-do-	-do-
20.	49		-do-	-do-
21.	49-C (3)		-do-	-do-
22.	50		-do-	-do-
23.	52-B		-do-	-do-
24.	53		-do-	-do-
25.	53-A		-do-	-do-
26.	53-B		-do-	-do-
27.	55 (2)		-do-	-do-
28.	56		-do-	-do-
29.	57		-do-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.	58		All powers of the Registrar in respect of the following Societies. 1-Primary Resources societies 2-Primary Consumers societies 3-Primary Multipurpose societies 4-Primary Producers societies 5-Primary Industrial societies 6-Agricultural societies	1-Raipur 2-Mahasamund 3-Dhamtari 4-Baloda Bazar 5-Durg 6-Balod 7- Bemetara 8- Rajnandgaon 9-Kabirdham 10- Bilaspur 11-Janjgir-Champa 12-Korba 13-Raigarh 14-Surguja 15- Surajpur 16-Baster 17-Kanker
31.	59		-do-	-do-
32.	59-A		-do-	-do-
33.	60		-do-	-do-
34.	61		-do-	-do-
35.	62		-do-	-do-
36.	63-A		-do-	-do-
37.	64		-do-	-do-
38.	65		-do-	-do-
39.	66		-do-	-do-
40.	67		-do-	-do-
41.	68		-do-	-do-
42.	69		-do-	-do-
43.	70		-do-	-do-
44.	71		-do-	-do-
45.	76 (2)		-do-	-do-
46.	81		-do-	-do-
47.	83		-do-	-do-
48.	84		-do-	-do-
49.	84-A		-do-	-do-
50.	85		-do-	-do-
51.	89		-do-	-do-
52.	90		-do-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53.		5	All powers of the Registrar in respect of the following Societies. 1-Primary Resources societies 2-Primary Consumers societies 3-Primary Multipurpose societies 4-Primary Producers societies 5-Primary Industrial societies 6-Agricultural societies	1-Raipur 2-Mahasamund 3-Dhamtari 4-Baloda Bazar 5-Durg 6-Balod 7- Bemetara 8- Rajnandgaon 9-Kabirdham 10- Bilaspur 11-Janjgir-Champa 12-Korba 13-Raigarh 14-Surguja 15- Surajpur 16-Baster 17-Kanker
54.		9	-do-	-do-
55.		11 except sub rule(7)	-do-	-do-
56.		22	-do-	-do-
57.		23 (3)(k)	-do-	-do-
58.		28	-do-	-do-
59.		29	-do-	-do-
60.		31	-do-	-do-
61.		34	-do-	-do-
62.		35	-do-	-do-
63.		36 (2nd Proviso)	-do-	-do-
64.		41	-do-	-do-
65.		43-A(2) and (5)	-do-	-do-
66.		44	-do-	-do-
67.		50	-do-	-do-
68.		50-A	-do-	-do-
69.		52	-do-	-do-
70.		53	-do-	-do-
71.		54 (1) and (2)	-do-	-do-
72.		55	-do-	-do-
73.		56	-do-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
74.		57 excluding clauses (e) (g) and Part (o)	All powers of the Registrar in respect of the following Societies. 1-Primary Resources societies 2-Primary Consumers societies 3-Primary Multipurpose societies 4-Primary Producers societies 5-Primary Industrial societies 6-Agricultural societies	1-Raipur 2-Mahasamund 3-Dhamtari 4-Baloda Bazar 5-Durg 6-Balod 7- Bemetara 8- Rajnandgaon 9-Kabirdham 10- Bilaspur 11-Janjgir-Champa 12-Korba 13-Raigarh 14-Surguja 15- Surajpur 16-Baster 17-Kanker
75.		58	-do-	-do-
76.		65	-do-	-do-

रायपुर, दिनांक 4 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/04.—छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 5-1-99-पंद्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उक्त अधिनियम तथा कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 की विभिन्न धाराओं के अधीन रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी द्वारा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट उनके अपने-अपने अधिकारिता में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर प्रयोग की जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र.	अधिनियम की धारा	नियम	शक्तियों की सीमा	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6 (1)		(क) वित्तीय बैंक (ख) ऐसे समस्त सोसाइटियां जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो, को छोड़कर समस्त प्रकार की सोसायटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	1-गरियाबंद 2-मुंगेली 3-कोरिया 4-बलरामपुर 5-जशपुर 6-बीजापुर 7-दंतेवाड़ा 8-नारायणपुर 9-कोण्डागांव 10-सुकमा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	7 (1)		(क) वित्तीय बैंक (ख) ऐसे समस्त सोसाइटियां जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो, को छोड़कर समस्त प्रकार की सोसायटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	1-गरियाबंद 2-मुंगेली 3-कोरिया 4-बलरामपुर 5-जशपुर 6-बीजापुर 7-दंतेवाड़ा 8-नारायणपुर 9-कोण्डागांव 10-सुकमा
3.	8		—तदैव—	—तदैव—
4.	9		—तदैव—	—तदैव—
5.	10 (1)		—तदैव—	—तदैव—
6.	11		—तदैव—	—तदैव—
7.	12		—तदैव—	—तदैव—
8.	14		—तदैव—	—तदैव—
9.	15 (2)		—तदैव—	—तदैव—
10.	16, उप-धारा (3) को छोड़कर		—तदैव—	—तदैव—
11.	17		—तदैव—	—तदैव—
12.	18		—तदैव—	—तदैव—
13.	19 (2-क)		—तदैव—	—तदैव—
14.	19 (6) तथा (7)		—तदैव—	—तदैव—
15.	19-कक		—तदैव—	—तदैव—
16.	19-ख		—तदैव—	—तदैव—
17.	19-ग (1-क) तथा (2)		—तदैव—	—तदैव—
18.	32		—तदैव—	—तदैव—
19.	37 (4)		उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है.	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.	43 (3)		उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है.	1-गरियाबंद 2-मुंगेली 3-कोरिया 4-बलरामपुर 5-जशपुर 6-बीजापुर 7-दंतेवाड़ा 8-नारायणपुर 9-कोण्डागांव 10-सुकमा
21.	44 (1)		—तदैव—	—तदैव—
22.	44 (3)		—तदैव—	—तदैव—
23.	45		—तदैव—	—तदैव—
24.	48 (3) ग		—तदैव—	—तदैव—
25.	48-क (2)		शीर्ष (अपेक्स) सोसाइटियों को छोड़कर समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	—तदैव—
26.	49		—तदैव—	—तदैव—
27.	49-ख		उन सोसाइटियों की समितियों या उप-समितियों के संबंध में जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है.	—तदैव—
28.	49-ग (3)		उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है.	—तदैव—
29.	50		समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	—तदैव—
30.	52-ख द्वितीय परन्तुक		उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है.	—तदैव—
31.	53		—तदैव—	—तदैव—
32.	53-क		—तदैव—	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33.	53-ख		उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है.	1-गरियाबंद 2-मुंगेली 3-कोरिया 4-बलरामपुर 5-जशपुर 6-बीजापुर 7-दंतेवाड़ा 8-नारायणपुर 9-कोण्डागांव 10-सुकमा
34.	55 (2)		—तदैव—	—तदैव—
35.	56		समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	—तदैव—
36.	57		—तदैव—	—तदैव—
37.	57-क		—तदैव—	—तदैव—
38.	58		—तदैव—	—तदैव—
39.	58-ख (1) (2) एवं (5)		उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है.	—तदैव—
40.	59		समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	—तदैव—
41.	59-क		—तदैव—	—तदैव—
42.	60		—तदैव—	—तदैव—
43.	61		—तदैव—	—तदैव—
44.	62		उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है.	—तदैव—
45.	63-क		—तदैव—	—तदैव—
46.	64		समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	—तदैव—
47.	65		—तदैव—	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48.	66		समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	1-गरियाबंद 2-मुंगेली 3-कोरिया 4-बलरामपुर 5-जशपुर 6-बीजापुर 7-दंतेवाड़ा 8-नारायणपुर 9-कोण्डागांव 10-सुकमा
49.	67		—तदैव—	—तदैव—
50.	68		—तदैव—	—तदैव—
51.	69		उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है.	—तदैव—
52.	70		—तदैव—	—तदैव—
53.	71		—तदैव—	—तदैव—
54.	72		—तदैव—	—तदैव—
55.	76 (2)		—तदैव—	—तदैव—
56.	81		—तदैव—	—तदैव—
57.	83		—तदैव—	—तदैव—
58.	84		समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	—तदैव—
59.	84-क		—तदैव—	—तदैव—
60.	85		—तदैव—	—तदैव—
61.	89		—तदैव—	—तदैव—
62.	90		—तदैव—	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
63.		5	(क) वित्तीय बैंक (ख) ऐसे समस्त सोसाइटियां, जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो, को छोड़कर समस्त प्रकार की सोसायटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	1-गरियाबंद 2-मुंगेली 3-कोरिया 4-बलरामपुर 5-जशपुर 6-बीजापुर 7-दंतेवाड़ा 8-नारायणपुर 9-कोण्डागांव 10-सुकमा
64.		7	—तदैव—	—तदैव—
65.		9	—तदैव—	—तदैव—
66.		11, उप नियम (7) को छोड़कर	—तदैव—	—तदैव—
67.		22	—तदैव—	—तदैव—
68.		23(3)(ट)	—तदैव—	—तदैव—
69.		26	—तदैव—	—तदैव—
70.		28	—तदैव—	—तदैव—
71.		29	—तदैव—	—तदैव—
72.		31	—तदैव—	—तदैव—
73.		32(1) (पांच) (ग)	—तदैव—	—तदैव—
74.		34	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	—तदैव—
75.		35	—तदैव—	—तदैव—
76.		36 (द्वितीय परंतुक)	—तदैव—	—तदैव—
77.		41	उन सोसाईटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है.	—तदैव—
78.		43-क(2) एवं (5)	—तदैव—	—तदैव—
79.		44	—तदैव—	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
80.		50	उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है.	1-गरियाबंद 2-मुंगेली 3-कोरिया 4-बलरामपुर 5-जशपुर 6-बीजापुर 7-दंतेवाड़ा 8-नारायणपुर 9-कोण्डागांव 10-सुकमा
81.		50-क	—तदैव—	—तदैव—
82.		52	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	—तदैव—
83.		53	—तदैव—	—तदैव—
84.		54 (1) एवं (2)	—तदैव—	—तदैव—
85.		55	—तदैव—	—तदैव—
86.		56	—तदैव—	—तदैव—
87.		57 (छ)	उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है.	—तदैव—
88.		57, खण्ड (ङ), (छ) और (ण) को छोड़कर	—तदैव—	—तदैव—
89.		58	—तदैव—	—तदैव—
90.		65	समस्त सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां.	—तदैव—

Raipur, the 4th May 2012

NOTIFICATION

No./F 15-19/15-02/2012/04.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No.17 of 1961), and in supersession of this Department's Notification No.F. 5-1-99-XV -1-D. dated 26th July, 1999, the State Government hereby directs that the Powers conferred on the Registrar, Co-operative Societies, Chhattisgarh under various sections of the said Act as specified in column (2) and Chhattisgarh Co-operative Societies Rules, 1962, as specified in column (3) of schedule given below shall be exercised

by the Assistant Registrar of Co-operative Societies, to the extent as specified in column (4) within the area comprised of their respective jurisdiction as specified in column (5) of the said Schedule, namely :—

SCHEDULE

S.No. (1)	Section of the Act (2)	Rules (3)	Extent of Powers (4)	Area (5)
1.	6(1)		(a) Financial Banks (b) All powers of the Registrar in respect of all types of societies except all societies whose area of operation extends beyond the limits of District.	1-Gariyaband 2-Mungeli 3-Korea 4-Balrampur 5-Jashpur 6-Bijapur 7-Dantewada 8-Narayanpur 9-Kondagaon 10- Sukma
2.	7(1)		-do-	-do-
3.	8		-do-	-do-
4.	9		-do-	-do-
5.	10(1)		-do-	-do-
6.	11		-do-	-do-
7.	12		-do-	-do-
8.	14		-do-	-do-
9.	15(2)		-do-	-do-
10.	16 excluding sub-section (3)		-do-	-do-
11.	17		-do-	-do-
12.	18		-do-	-do-
13.	19(2-A)		-do-	-do-
14.	19(6) and (7)		-do-	-do-
15.	19-AA		-do-	-do-
16.	19-B		-do-	-do-
17.	19-C (1-A) and (2)		-do-	-do-
18.	32		-do-	-do-
19.	37(4)		All powers of the Registrar in respect of societies which he can register.	-do
20.	43(3)		-do-	-do-
21.	44(1)		-do-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22.	44(3)		All powers of the Registrar in respect of societies which he can register.	1-Gariyaband 2-Mungeli 3-Korea 4-Balrampur 5-Jashpur 6-Bijapur 7-Dantewada 8-Narayanpur 9-Kondagaon 10- Sukma
23.	45		-do-	-do-
24.	48(3) (c)		-do-	-do-
25.	48-A(2)		All powers of the Registrar in respect of all types of societies except Apex societies.	-do-
26.	49		-do-	-do-
27.	49-B		In respect of committees or sub committees of those societies which he can Register.	-do-
28.	49-C (3)		All powers of the Registrar in respect of all types of societies which he can register.	-do-
29.	50		All powers of the Registrar in respect of all societies.	-do-
30.	52-B(second proviso)		All powers of the Registrar in respect of societies which he can register.	-do-
31.	53		-do-	-do-
32.	53-A		-do-	-do-
33.	53-B		-do-	-do-
34.	55(2)		-do-	-do-
35.	56		All powers of the Registrar in respect of all societies.	-do-
36.	57		-do-	-do-
37.	57-A		-do-	-do-
38.	58		-do-	-do-
39.	58-B (1) (2) and (5)		All power of the Registrar in respect of those societies which he can register.	-do-
40.	59		All powers of the Registrar in respect of all societies.	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41.	59-A		All powers of the Registrar in respect of all societies.	1-Gariyaband 2-Mungeli 3-Korea 4-Balrampur 5-Jashpur 6-Bijapur 7-Dantewada 8-Narayanpur 9-Kondagaon 10- Sukma
42.	60		-do-	-do-
43.	61		-do-	-do-
44.	62		All power of the Registrar in respect of those societies which he can register.	-do-
45.	63-A		-do-	-do-
46.	64		All power of the Registrar in respect of all societies.	-do-
47.	65		-do-	-do-
48.	66		-do-	-do-
49.	67		-do-	-do-
50.	68		-do-	-do-
51.	69		All powers of the Registrar in respect of those societies which he can register.	-do-
52.	70		-do-	-do-
53.	71		-do-	-do-
54.	72		-do-	-do-
55.	76(2)		-do-	-do-
56.	81		-do-	-do-
57.	83		-do-	-do-
58.	84		All powers of the Registrar in respect of all societies	-do-
59.	84-A		-do-	-do-
60.	85		-do-	-do-
61.	89		-do-	-do-
62.	90		-do-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
63.		5	(a) Financing Banks (b) All power of the Registrar in respect of all types of societies except all societies whose area of operation extends beyond the limits of districts.	1-Gariyaband 2-Mungeli 3-Korea 4-Balrampur 5-Jashpur 6-Bijapur 7-Dantewada 8-Narayanpur 9-Kondagaon 10- Sukma
64.		7	-do-	-do-
65.		9	-do-	-do-
66.		11 excluding sub rule(7)	-do-	-do-
67.		22	-do-	-do-
68.		23 (3)(k)	-do-	-do-
69.		26	-do-	-do-
70.		28	-do-	-do-
71.		29	-do-	-do-
72.		31	-do-	-do-
73.		32(1)(v)(c)	-do-	-do-
74.		34	All powers of the Registrar in respect of all societies	-do-
75.		35	-do-	-do-
76.		36 (second proviso)	-do-	-do-
77.		41	All powers of the Registrar in respect of those societies which he can register.	-do-
78.		43-A(2) and (5)	-do-	-do-
79.		44	-do-	-do-
80.		50	-do-	-do-
81.		50-A	-do-	-do-
82.		52	All powers of the Registrar in respect of all societies.	-do-
83.		53	-do-	-do-
84.		54 (1) and (2)	-do-	-do-
85.		55	-do-	-do-
86.		56	-do-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
87.		57 (g)	All powers of the Registrar in respect of those societies in which he can Register.	1-Gariyaband 2-Mungeli 3-Korea 4-Balrampur 5-Jashpur 6-Bijapur 7-Dantewada 8-Narayanpur 9-Kondagaon 10- Sukma
88.		57 excluding clauses (e). (g) and (o)	-do-	-do-
89.		58	-do-	-do-
90.		65	All power of the Registrar in respect of all societies.	-do-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.